

प्रेमक,

शिव प्रकाश गुप्त,
संस्कृत सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2
समदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक:

24 जून, 2005

विषय:- ज्ञानरक्षी पब्लिक स्कूल बाईमास मीरापुर मुजफ्फरनगर को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के अंतर्गत आदेश पब्लिक स्कूलों को दिए गए हैं।
का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विधानय को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जान में उक्त राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन आर्पित किया है:-

111. विधानय की संशोधित नीतिवही का समया-समय पर नवीनीकरण कराया जायगा ।
121. विधानय की प्रयोग संबंधित में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य नामित होगा ।
131. विधानय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जाति के विधापी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 मा0 शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विधानयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
141. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधानय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केंद्रिक शिक्षा परिषद से सन्वयता प्राप्त है तथा विधानय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/केंद्रिक फार दि इण्डियन स्कूल स्टॉफिबेट इकायिनेस नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 मा0 शिक्षा परिषद द्वारा प्रेषित आदेश तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- 151 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षात्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसन्ध वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिए जाएंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त असास नियमों के अधीन विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसन्ध वेतनानुवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा तन्म-तन्म पर जो भी आदेश निर्गत जिये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिजार्ड निर्धारित प्रपत्र/फॉर्मों में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से जिला बोर्ड परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की मुक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनाफीला प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,
 § शिव प्रकाश गुप्त §
 संयुक्त सचिव ।

पृ० संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित :-

- 1- जिला निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, महारनपुर ।
- 3- जिला शिक्षण निरीक्षक, मुजफ्फरनगर ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- ✓ प्रबंधक, ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल वाईपास मीरापुर, मुजफ्फरनगर ।
- 6- सचिव, मुक ।

भावदीय,
 § शिव प्रकाश गुप्त §
 संयुक्त सचिव ।